न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र वहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 71 / 24 (वाद)

GCMS NO: 2024/211

अनवान

1. श्री बालु पुत्र स्व. श्री रूपा जाति भील निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.........वादी

बनाम्

1. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रामलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री कालुलाल पुत्र श्री वल्लभराम जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री गणेश पुत्र श्री प्यारचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्री दयाराम पुत्र श्री प्यारचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. श्री लक्ष्मण पुत्र श्री प्यारचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
6. श्री नटवरलाल पुत्र श्री छोगालाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
7. श्री हीरालाल पुत्र श्री छोगालाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
8. श्रीमती गिरजा पुत्री श्री छोगालाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
9. श्रीमती प्रेमबाई पत्नी श्री छोगालाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
10. श्री मोतीलाल पुत्र श्री वल्लभराम जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
11. श्री शांतिलाल पुत्र श्री वल्लभराम जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
12. श्रीमती कंकू पुत्री श्री प्रभुलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
13. श्रीमती कमला पुत्री श्री प्रभुलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
14. श्री किशन पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
15. श्री गणपत पुत्र श्री प्रभुलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
16. श्री गोपाल पुत्र श्री पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

17. श्री मांगीलाल पुत्र श्री पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भी
जिला उदयपुर राज ।

18. श्रीमती माहेनी पुत्री श्री पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भी
जिला उदयपुर राज ।

19. श्रीमती राधा पुत्री श्री पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भी
जिला उदयपुर राज ।

20. श्रीमती नारायणी पुत्र श्री पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भी
जिला उदयपुर राज ।

21. श्री रामेश्वर पुत्र श्री प्रभुलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जि
उदयपुर राज ।

22. श्री कैलाश पुत्र श्री नारायण जाति ब्राह्मण निवासी वरणी तहसील भीण्डर जि
उदयपुर राज ।

23. श्री लोकेश उर्फ पप्पु पुत्र श्री नारायण जाति ब्राह्मण निवासी वरणी तहसील भीण्ड
जिला उदयपुर राज ।

24. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री श्री नारायण जाति ब्राह्मण निवासी वरणी तहसील भीण्डर जि
उदयपुर राज ।

25. श्रीमती शोभा पुत्री श्री नारायण जाति ब्राह्मण निवासी वरणी तहसील भीण्डर जि
उदयपुर राज ।

26. श्रीमती लीला पुत्री श्री नारायण जाति ब्राह्मण निवासी वरणी तहसील भीण्डर जि
उदयपुर राज ।

27. श्रीमती सोहनी पुत्री श्री नारायण जाति ब्राह्मण निवासी वरणी तहसील भीण्डर जि
उदयपुर राज ।

28. श्री नारायण पुत्र श्री शंभुजी जाति ब्राह्मण निवासी वरणी तहसील भीण्डर जि
उदयपुर राज ।

29. श्री श्यामलाल पुत्र श्री प्रभुलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला
उदयपुर राज ।

30. श्रीमती सीता पत्नी श्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर
जिला उदयपुर राज ।

31. श्री हरीश पुत्र श्री वरदीचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला
उदयपुर राज ।

32. श्री कमलाशंकर पुत्र श्री नंदलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर
जिला उदयपुर राज ।

33. श्रीमती गंगा पुत्री श्री रंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी करोली तहसील बडीसादडी
जिला चित्तौडगढ राज ।

34. श्रीमती गणेशी पत्नी श्री नंदलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर
जिला उदयपुर राज ।

35. श्री छोगालाल पुत्र श्री रंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी करोली तहसील बडीसादडी
जिला चित्तौडगढ राज ।

36. श्री दशरथ पुत्र श्री रंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी करोली तहसील बडीसादडी जिला
चित्तौडगढ राज ।

37. श्री रमेश पुत्र श्री नंदलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला
उदयपुर राज ।

38. श्री रमेश जोशी पुत्र श्री नारायणलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

39. श्री भेरूलाल पुत्र श्री नारायण जाति अहीर निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

40. श्री शिवलाल पुत्र श्री शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

41. श्री विष्णु पुत्र श्री शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

42. श्रीमती वरदी पत्नी श्री शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

43. श्रीमती देऊबाई पुत्री श्री शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

44. श्रीमती मांगी पुत्री स्व. श्री रूपा जाति भील निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

45. श्री राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी श्री तहसीलदार जी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित–

1. श्री मुकेश डांगी, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक 28.10.2025

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कलवल पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की आराजी सं. 386, 387, 388, 389, 390/1, 390/2, 390/3, 391 किता 8 रकबा 20 विघा 13 विस्वा कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 के पिता रूपा के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि थी एवं बंदोबस्ती जमाबंदी संवत् 2012 में उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 के पिता रूपा वल्द देवा भी सा.देह खा. के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रही है। यह कि इस वाद पत्र की कलम न. 1 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि कै. 20 बीघा 13 विस्वा पर जब तक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 के पिता रूपा जीवित रहे, तब तक वह काबिज होकर काश्त करते रहे। रूपा की दिनांक 06.11.2019 को मृत्यु हो गई, जिससे उपरोक्त वादग्रस्त कुलिया कृषि भूमि विरासत से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 को प्राप्त हुई, जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 काबिज होकर काश्त करने लग गये एवं आज दिन तक लगातार काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा उपरोक्त वादग्रस्त कुलिया कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार होकर अधिपत्यधारी है जिसमें वादी

एवं प्रतिवादी संख्या 44 के अलावा किसी अन्य का किसी भी प्रकार से कोई हिस्सा, अधिकार, आधिपत्य स्वत्व इत्यादि नहीं है।

2 यह कि दिनाक 03.11.2022 को प्रतिवादी कमलाशंकर, रमेश व शिवलाल तीनों परिवार वालों एवं अन्य लोगों के साथ एक नाजायज गिरोह बनाकर वादी प्रतिवादी संख्या 44 की वादग्रस्त कृषि भूमि पर आये तथा वादी को धमकी देकर कहा कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी खेती करना बंद कर दे एवं इस भूमि का कब्जा छोड कर चला जावें जिस पर वादी ने उपरोक्त प्रवितादीगण से इसका कारण पूछा तो उपरोक्त प्रतिवादीगण ने वादी को कहा कि वादग्रस्त कृषि भूमि खाता वादी एवं वादी की बहिन के नाम पर दर्ज नहीं है एवं नंदलाल शंकरलाल पि. मोहनलाल ब्राह्मण निवासी कलवल व वरदीचन्द, प्यारचन्द, वगतराम पि. लखमीचन्द ब्राह्मण निवासी कलवल के नाम पर दर्ज है जिससे उपरोक्त प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करेंगे जिस पर वादी ने उपरोक्त प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना किया और कहा कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादी के पिता रूपा के खातेदारी अधिकार और कब्जे की रही है जो रूपा से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 को मिली है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 का कब्जा काश्त है तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि स्वर्ण जाति के व्यक्तियों के नाम पर कैसे हो सकती है तो उपरोक्त प्रतिवादीगण ने वादी के साथ फ आपराधिक कृत्य किया जिसकी कार्यवाही के लिए वादी ने पुलिस थाना भीण्डर में प्रार्थना पत्र पेश किया एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 187/2022 दर्ज हुई जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण ने अपने प्रभाव से थाने से कोई भी कार्यवाही नहीं होने दी जिस पर वादी पे न्यायालय की शरण ले रखी है एवं अभी कार्यवाही हेतु प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

3. यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 बहुत ही गरीब है तथा बडी मुश्किल से वादग्रस्त कृषि भूमि पर खेती का कार्य कर परिवार की आजीविका को चलाते है तथा वादी अनपढ है जिससे वादी उस समय यही समझता रहा कि वादी ने पुलिस थाना भीण्डर पर कार्यवाही कराई है जिसमें फर्जीवाडा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही हो जावेगी एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 44 को नुकसान नहीं होगा। इस कारण से वादी ने उस समय वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में सम्पूर्ण जानकारी नहीं जुटाई तथा अल्प से वादी कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं करवा पाया एवं अनभिज्ञता के चलते भरोसे में रह गया। यह कि अभी जुन माह में बारिश होने के बाद वादी वादग्रस्त कृषि भूमि पर दिनांक 29.06.2024 को कृषि कार्य कर रहा था उस समय प्रतिवादी कमलाशंकर रमेश व शिवलाल करीब 50 लोगो का एक नाजायज गिरोह बना कर वापस वादग्रस्त कृषि भूमि पर आ गये तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 के हक अधिकरों को भारी चुनौती देने लगे एवं जबरन शरीर के बल पर वादी को

बेदखल करने पर उतारू हुए जिस पर वादी ने उपरोक्त प्रतिवादीगण के सामने हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रतिवादीगण वादी के साथ ऐसा नहीं करे तथा जब तक वादी के पिता जीवित थे तब तक उपरोक्त प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त कृषि भूमि को लेकर कोई विवाद नही किया एवं उनकी मृत्यु के बाद अब इस तरह का विवाद क्यों कर रहे है परन्तु उपरोक्त प्रतिवादीगण किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं हुए।

4. यह कि इस पर वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 के हक अधिकारों की सुरक्षा के लिए वादी ने अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी एवं वादग्रस्त कृषि भूमि के वर्तमान रेकर्ड की जानकारी की जो वादी को इस बात का पता चला कि इस वाद पत्र की कलम न. 01 में वर्णित वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 के खातेदारी अधिकार व कब्जे की कृषि जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 को अपने पिता रूपा की विरासत से प्राप्त हुई है वह ग्राम कलवल पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की परिशिष्ट (क) आराजी न. 699, 700, 701, 716, 717, 718, 722 किता 7 रकबा 0.6300 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम पर 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 कालुलाल के नाम पर 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 से 09 गणेश, दयाराम, लक्ष्मण, नटवरलाल, हिरालाल, गिरजा, प्रेमबाई के मोरूस प्यारचन्द के नाम पर 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 मोतीलाल के नाम 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 शांतीलाल के नाम पर 1/9 हिस्सा इसी तरह परिशष्ट (ख) की आराजी संख्या 2139/718, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715 किता 8 रकबा 1.3000 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम पर 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 कंकु के नाम पर 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 कमला के नाम पर 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 कालुलाल के नाम पर 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 किशन के नाम पर 1/72 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 15 गणपत के नाम पर 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 गणेश के नाम पर 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 06 से 09 नटवरलाल, हिरालाल, गिरजा, प्रेमबाई के मोरूस छोगालाल के नाम पर 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 दयाराम के नाम पर 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12, 13, 15 व 16, 29 कंकु, कमला, गणपत, गोपाल, मांगीलाल, मोहनी, राधा, नारायणी, रामेश्वर, कैलाश, लोकेश उर्फ पप्पु, लक्ष्मी, शोभा, लीला, सोहनी, नारायण, श्यामलाल की मोरूस दाखीबाई के नाम पर 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 से 20 गोपाल, मांगीलाल, मोहनी, राधा, नारायणी के मोरूस पन्नालाल के नाम पर 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 मोतीलाल के नाम पर 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 21 रामेश्वर के नाम पर 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 22 से 28 कैलाश, लोकेश उर्फ पप्पु, लक्ष्मी, शोभा, लीला, सोहनी, नारायण की मोरूस रामी के नाम पर 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 05 लक्ष्मण के नाम पर

1/20 हिस्सा, प्रवितादी संख्या 29 श्यामलाल के नाम पर 1/36 हिस्सा, प्रतिवा संख्या 11 शांतिलाल के नाम पर 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 से 09 दयाराम लक्ष्मण, नटवरलाल, हीरालला, गिरजा, प्रेमबाई, की मोरूस राणीबाई के पर 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 30 सीता के नाम पर 1/72 हिस्सा, प्रतिवा संख्या 31 हरीश के नाम पर 1/8 हिस्सा इसी तरह परिशिष्ट (ग) आराजी न 1763, 2179/698, 2180/700, 2192/1792, 697, 702, 703 किता 08 रकबा 9700 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 32 कमलाशंकर के नाम पर 1/8 हिस्सा, प्रतिवा संख्या 33 गंगा के नाम पर 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 34 गणेशीबाई के पर 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 35 छोगालाल के नाम पर 1/24, प्रतिवा संख्या 36 दशरथ के नाम पर 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 37 रमेश के नाम 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 38 रमेश जोशी के नाम पर 1/2 हिस्सा इसी प्र परिशिष्ट (घ) की आराजी संख्या 708 किता 1 रकबा 0.6400 है. भूमि में प्रतिवा संख्या 39 भेरूलाल के नाम पर संपूर्ण इसी प्रकार परिशिष्ट (ड) की आराजी न 705, 706, 707 किता 4 रकबा 0.7600 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 40 से शिवलाल, विष्णु, वरदीबाई, देऊबाई, के मोरूस शंकरलाल के नाम पर संपूर्ण इ प्रकार परिशिष्ट (च) की आराजी न. 719 किता 1 रकबा 0.0800 है. भूमि वादी प्रतिवादी संख्या 44 के पिता रूपा के नाम पर संपूर्ण।

5. यह कि इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 से 43 का वादग्रस्त कृषि भूमि में किसी तरह से कोई हक, हिस्सा, अधिकार, आधिपत्य इत्यादि नहीं है परन्तु प्रतिवादी 1 से 43 राजस्व अभिलेख में अंकित गलत अंकन के आधार पर नाजायज बना कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 की वादग्रस्त कृषि भूमि को जबरन शरीर बल पर हडप करना चाहते है जबकि वर्तमान राजस्व अभिलेख में जो भी अंकन है वह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 के हक, अधिकारों के मुकाबले पूरी से अवैध एवं शून्य प्रभावी है। यह कि बिनाय वाद के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रथम दिनांक 03.11.2022 को पैदा हुई एवं उसके बाद अंतिम आर दिनांक 29.06.2024 पैदा हुई जब प्रतिवादी कमलाशंकर, रमेश और शिवलाल ने अन्य प्रतिवादी के नाजायज गिरोह बना कर वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 हक, अधिकारों को भारी चुनौती दी एवं जबरन शरीर के बल पर बैदखल करने उतारू हुए एवं आपराधिक कृत्य करते हुए धमकीयां दी जो निरन्तर रूप से जारी अतः वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि परिशिष्ट (क), (ख), (ग), (घ), (ड), (च) में कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 को हिस्से बराबर से 1/2 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित करवाये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 43 के स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1 से 44 बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहे। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 से 44 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। न्यायहित मे पुन प्रतिवादी जरिये अखबार साया सूचित किया गया बावजुद प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। प्रकरण में आदेशिका दिनांक 26.06.2025 से अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र की परिशिष्ट (क) की आराजी सं 716, 717, 718, 722, परिशिष्ट (ख) की आराजी सं 2139/718, 713, 714, 715, परिशिष्ट (ग) कुलिया आराजी संख्या, परिशिष्ट (ड) की कुलिया की आराजी संख्या को विड्रो किये जाने के निवेदन से विड्रो किये जाने के आदेश दिये गये। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में वादी का शपथ पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेज के रूप में जमाबंदी संवत् 2078-81 की खाता संख्या नया 19 प्रर्दश-1, खाता संख्या नया 20 की जमाबंदी प्रदर्श-2, खाता संख्या नया 121 की जमाबंदी प्रदर्श-3, खाता संख्या नया 209 की जमाबंदी प्रदर्श-4, खाता संख्या नया 308 की जमाबंदी प्रदर्श-5, खाता संख्या नया 266 की जमाबंदी प्रदर्श-6, मिलान खसरा प्रदर्श-7 से 10, सेटलमेंट जमाबंदी प्रदर्श-11, 12, मिलान खसरा प्रदर्श-13, साबिक जमाबंदी प्रदर्श-14, 15, अखबार सूचना प्रकाशन की प्रति प्रदर्श-16, साबिक जमाबंदी प्रदर्श- 17 से 19 कराई गई। अधिवक्ता वादी द्वारा एक अन्य शपथ पत्र श्री रमेश पुत्र स्व. वरदा जाति भील का पेश किया गया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने पाया कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र में बताया कि मौजा कलवल पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर की साविक आराजी न. 386, 387, 388, 389, 390/1, 390/2, 390/3, 391 किता 8 रकबा 20 बिघा 13 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 के पिता रूपा वल्द देवा भील सा. देह. खा. के नाम खातेदारी हक से दर्ज रही तथा रूपा की फौत होने के बाद वादग्रस्त भूमि विरासत से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 को प्राप्त हुई जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 आज दिन तक काबिज होकर काश्त कर रहें है साथ ही कथन कहा वादग्रस्त आराजीयात पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 के अलावा अन्य किसी का किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात नवीन राजस्व रेकर्ड में मौजा कलवल पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर की परिशिष्ट (क), (ख), (ग), (घ), (ड), (च) में अंकित है। वादी के कथनानुसार वर्तमान राजस्व जमावंदीयों में वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 43 के नाम गलत रूप से अंकित कर दी जिसकी आड में प्रतिवादी संख्या 1 से 43 वादग्रस्त भूमि को वादी से जबरन हडपना चाहते हैं जिससे वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 के नाम हिस्से बराबर से घोषित किये जाने का निवेदन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श-1

से 6 पाया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम अंकित है। प्रदर्श–7 से 10 किता खसरा है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–11 व 12 के अध्ययन से पाया कि वादग्रस्त आराजी न. 386 रकबा 1 बिघा 1 बिस्वा, आराजी न. 387 रकबा 2 बिघा 10 बिस्वा, आराजी न. 388 रकबा 4 बिघा 2 बिस्वा, आराजी न. 389 रकबा 2 बिस्वा, आराजी न. 390/1 रकबा 5 बिघा, आराजी न. 390/2 रकबा 4 बिघा 1 बिस्वा, आराजी न. 390/3 रकबा 3 बिघा 15 बिस्वा, आराजी न. 391 रकबा 2 बिस्वा भूमि सेटलमेंट विभाग की जमाबंदी संवत् 2012 में रूपा वल्द देवा भील सा. देह के नाम दर्ज रेकर्ड है जिससे वादी का यह कथन स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि संवत् 2012 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 44 के पिता के नाम दर्ज रेकर्ड थी। साविक जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 प्रदर्श–14 से पाया कि वादग्रस्त साविक आराजी न. 386 रकबा 1 बिघा 1 बिस्वा, साविक आराजी न. 387 रकबा 2 बिघा 10 बिस्वा, साविक आराजी न. 389 रकबा 2 बिस्वा, साविक आराजी न. 390/1 रकबा 5 बिघा, साविक आराजी न. 390/2 रकबा 18 बिस्वा, साविक आराजी नं. 390/3 रकबा 2 बिघा, साविक आराजी नं. 391 रकबा 2 बिस्वा भूमि कुल 11 बिघा 13 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 44 के पिता रूपा पिता देवा सा.देह के नाम दर्ज है जबकि जमाबंदी सवंत् 2012 में वादी के नाम 20 बिघा 13 बिस्वा भूमि दर्ज रेकर्ड थी। जमाबंदी प्रदर्श–11, 12 व जमाबंदी प्रदर्श–14 के अवलोकन से स्पष्ट है कि साविक आराजी न. 388 रकबा 4 बिघा 2 बिस्वा भूमि का संवत् 2017–20 के जमाबंदी रोटेशन में किसी प्रकार का अंकन नहीं है। इसी तरह साविक आराजी न. 390/2 रकबा 4 बिघा 1 बिस्वा भूमि में से 18 बिस्वा भूमि का ही अंकन है शेष 3 बिघा 13 बिस्वा भूमि के संबंध में किसी तरह का कोई अंकन नहीं है। इसी तरह साविक आराजी न. 390/3 रकबा 3 बिघा 15 बिस्वा भूमि में से 2 बिघा भूमि का संवत् 2017–20 में अंकन है। शेष 1 बिघा 15 बिस्वा भूमि का किसी प्रकार का कोई अंकन नहीं है। **उक्त भूमि किस आधार से जमाबंदी रोटेशन से हटाई गई अथवा हस्तान्तरण हुई उसका कोई अंकन जमाबंदी में नहीं है** जिससे भी वादी के कथन को बल मिलता है। जमाबंदी संवत् 2021–24 प्रदर्श–15 में जमाबंदी संवत् 2017–20 के मुकाबले किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जमाबंदी संवत् 2025–28 प्रदर्श–17 में पूर्व जमाबंदी के मुकाबले किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जमाबंदी संवत् 2029–32 प्रदर्श–18 पुर्व जमाबंदी के मुकाबले किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जमाबंदी संवत् 2032–35 प्रदर्श–19 पुर्व जमाबंदी के मुकावले किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जमांबदी संवत् 2036–39 प्रदर्श–20 में साविक आराजी न. 385/1 रकबा 1 बिघा 15 बिस्वा भूमि जोडी गई जिससे वादग्रस्त आराजीयात का कुल रकबा 13 बिघा 8 बिस्वा भूमि हो गया। साविक आराजी न. 385/1 वादग्रस्त आराजी नहीं है। साविक जमाबंदी संवत् 2041–44 प्रदर्श–21 से पाया कि

आदेश से साबिक आराजी न. 387 रकबा 2 बिघा 10 बिस्वा भूमि, साबिक आराजी नं 390/1 रकबा 5 बिघा व साबिक आराजी न 385/1 रकबा 1 बिघा 15 बिस्वा भूमि का डिक्री आदेश से रूपा पिता देवा भील के बजाय नंदलाल, शंकरलाल पिता मोहनलाल निवासी कलवल के नाम दर्ज किये जाने की स्वीकृति हुई जिससे स्पष्ट है कि साबिक आराजी न. 387, 390/1 का जरिये डिक्री से हस्तान्तरण हुआ है। जमाबंदी संवत् 2045–48 प्रदर्श–22 से पाया कि नामान्तरण से साबिक आराजी न 386 रकबा 1 बिघा 1 बिस्वा भूमि, साबिक आराजी न. 389 रकबा 2 बिस्वा भूमि व साबिक आराजी न. 390/3 मी. रकबा 1 बिघा 15 बिस्वा भूमि अन्य खातेदार के नाम दर्ज हुई जिससे स्पष्ट है कि साबिक आराजी न. 386, 389 व साबिक आराजी न. 390/3 रकबा 3 बिघा 15 बिस्वा भूमि में से 1 बिघा 15 बिस्वा भूमि का जरिये नामान्तरण हस्तान्तरण हुआ है। जमाबंदी संवत् 2049–52 प्रदर्श–23 से पाया कि साबिक आराजी न. 390/2 शेष रकबा 18 बिस्वा (जो जमाबंदी संवत् 2017–20 में दर्ज है) भूमि के आबादी में संपरिवर्तन के आदेश हुये जिससे साबिक आराजी न. 390/2 रकबा 4 बिघा 1 बिस्वा में से शेष 3 बिघा 3 बिस्वा का किसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं हुआ है जो खातेदार रूपा के शेष बचनी चाहिये थी। जमाबंदी संवत् 2069–72 प्रदर्श–24 से पाया कि रूपा पिता देवा भील सा.देह के नाम साबिक आराजी नं. 390/3 रकबा 0–05 बिघा एवं साबिक आराजी न. 391 रकबा 0–02 बिघा ही दर्ज है। जमाबंदी रोटेशन में साबिक आराजी न. 388 रकबा 4 बिघा 2 बिस्वा भूमि, साबिक आराजी न. 390/2 रकबा 4 बिघा 1 बिस्वा भूमि में से बचे शेष 3 बिघा 3 बिस्वा भूमि व साबिक आराजी न. 390/3 रकबा 3 बिघा 15 बिस्वा भूमि में से 3 बिघा 10 बिस्वा भूमि के हस्तान्तरण के संबंध में जमाबंदी रोटेशन में किसी प्रकार का अंकन नहीं है जिससे वादी का यह कथन स्पष्ट है कि राजस्व अभिलेखों मे गलत अंकन कर वादग्रस्त भूमि को गलत तरीके से अंकित कर दिया गया है। वादग्रस्त साबिक आराजी न. 386, 387, 388, 389, 390/1, 390/2, 390/3, 391 कुल रकबा 20 बिघा 13 बिस्वा के नवीन सेटलमेंट के बाद नये आराजी न. वाद पत्र में अंकित परिशिष्ट (क), (ख), (ग), (घ), (ड) व (च) में अंकित आराजी न. बने जो मिलान खसरा प्रदर्श–7 से 10, 13 से स्पष्ट है। अधिवक्ता वादी द्वारा परिशिष्ट (क) की आराजी न. 716, 717, 718, 722, परिशिष्ट (ख) की आराजी न. 2139/718, 713, 714, 715, परिशिष्ट (ग) की कुलिया आराजीयात, परिशिष्ट (ड) की कुलिया आराजीयात को विड्रो किये जाने के निवेदन से आदेशिका दिनांक 26.06.2025 में विड्रो किये जाने के आदेश दिये गये।.

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमने पाया कि जमाबंदी संवत् 2012 में साबिक आराजी न. 386 रकबा 1 बिघा 1 बिस्वा, आराजी न. 387 रकबा 2 बिघा 10 बिस्वा, आराजी न 388 रकबा 4 बिघा 2 बिस्वा, आराजी न. 389 रकबा 2 बिस्वा, आराजी

न. 390/1 रकबा 5 बिघा, आराजी न. 390/2 रकबा 4 बिघा 1 बिस्वा, आराजी न. 390/3 रकबा 3 बिघा 15 बिस्वा, आराजी न. 391 रकबा 2 बिस्वा भूमि वादी के प्रतिवादी संख्या 44 के पिता रूपा वल्द देवा भील सा.देह के नाम थी। जमाबंदी रोटेशन के दौरान साविक आराजी नं. 386 रकबा 1 बिघा 1 बिस्वा, साविक आराजी न. 389 रकबा 2 बिस्वा जरिये नामान्तरण से सम्पुर्ण, साविक आराजी न. 387 रकबा 2 बिघा 10 बिस्वा, साविक आराजी नं. 390/1 रकबा 5 बिघा जरिये डिक्री, साविक आराजी न. 390/3 रकबा 3 बिघा 15 बिस्वा भूमि में से 1 बिघा 15 बिस्वा भूमि साविक आराजी न. 390/2 रकबा 3 बिघा 3 बिस्वा भूमि में से 18 बिस्वा भूमि के हस्तान्तरण के संबंध में जमाबंदी रोटेशन में अंकन है लेकिन साविक आराजी न. 3.. रकबा 4 बिघा 2 बिस्वा भूमि, साविक आराजी न. 390/2 के शेष रकबे 3 बिघा बिस्वा भूमि, साविक आराजी न. 390/3 के शेष रकबे 2 बिघा भूमि के संबंध जमाबंदी रोटेशन में हस्तान्तरण व अन्य किसी प्रकार के हस्तान्तरण के संबंध अंकन नही है जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त साविक आराजी नम्बर न 3.. रकबा 4 बिघा 2 बिस्वा भूमि, साविक आराजी न. 390/2 के शेष रकबे 3 बिघा बिस्वा भूमि, साविक आराजी न. 390/3 के शेष रकबे 2 बिघा भूमि गलत तरीके प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई है। अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—::आदेश::—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा कलवल पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078-81 आराजी संख्या 699 रकबा 0.0700 है., आराजी संख्या 700 रकबा 0.0800 है., आराजी संख्या 701 रकबा 0.0800 है., आराजी संख्या 709 रकबा 0.1000 है., आराजी संख्या 710 रकबा 0.3100 है., आराजी संख्या 711 रकबा 0.4400 है., आराजी संख्या रकबा 0.3200 है., आराजी संख्या 708 रकबा 0.6400 है. कुल रकबा 2.0400 है. वर्तमान खातेदार के बजाय वादी बालु पुत्र स्व. रूपा जाति भील व प्रतिवादी संख्या 44 मांगी पुत्री स्व. रूपा भील जाति भील को हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को खुले ईजलास सुनाया गया।

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 71/24 (वाद)

GCMS NO: 2024/211

अनवान

1 श्री बालु पुत्र स्व. श्री रूपा जाति भील निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..........वादी

बनाम्

1. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रामलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री कालुलाल पुत्र श्री वल्लभराम जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री गणेश पुत्र श्री प्यारचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्री दयाराम पुत्र श्री प्यारचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. श्री लक्ष्मण पुत्र श्री प्यारचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
6. श्री नटवरलाल पुत्र श्री छोगालाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
7. श्री हीरालाल पुत्र श्री छोगालाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
8. श्रीमती गिरजा पुत्री श्री छोगालाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
9. श्रीमती प्रेमबाई पत्नी श्री छोगालाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
10. श्री मोतीलाल पुत्र श्री वल्लभराम जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
11. श्री शांतिलाल पुत्र श्री वल्लभराम जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
12. श्रीमती कंकू पुत्री श्री प्रभुलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
13. श्रीमती कमला पुत्री श्री प्रभुलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
14. श्री किशन पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
15. श्री गणपत पुत्र श्री प्रभुलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

16. श्री गोपाल पुत्र श्री पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
17. श्री मांगीलाल पुत्र श्री पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
18. श्रीमती माहेनी पुत्री श्री पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
19. श्रीमती राधा पुत्री श्री पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
20. श्रीमती नारायणी पुत्र श्री पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
21. श्री रामेश्वर पुत्र श्री प्रभुलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
22. श्री कैलाश पुत्र श्री नारायण जाति ब्राह्मण निवासी वरणी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
23. श्री लोकेश उर्फ पप्पु पुत्र श्री नारायण जाति ब्राह्मण निवासी वरणी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
24. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री श्री नारायण जाति ब्राह्मण निवासी वरणी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
25. श्रीमती शोभा पुत्री श्री नारायण जाति ब्राह्मण निवासी वरणी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
26. श्रीमती लीला पुत्री श्री नारायण जाति ब्राह्मण निवासी वरणी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
27. श्रीमती सोहनी पुत्री श्री नारायण जाति ब्राह्मण निवासी वरणी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
28. श्री नारायण पुत्र श्री शंभुजी जाति ब्राह्मण निवासी वरणी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
29. श्री श्यामलाल पुत्र श्री प्रभुलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
30. श्रीमती सीता पत्नी श्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
31. श्री हरीश पुत्र श्री वरदीचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
32. श्री कमलाशंकर पुत्र श्री नंदलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
33. श्रीमती गंगा पुत्री श्री रंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी करोली तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज.।
34. श्रीमती गणेशी पत्नी श्री नंदलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
35. श्री छोगालाल पुत्र श्री रंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी करोली तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज.।
36. श्री दशरथ पुत्र श्री रंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी करोली तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज.।

37. श्री रमेश पुत्र श्री नदलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

38. श्री रमेश जोशी पुत्र श्री नारायणलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

39. श्री भेरूलाल पुत्र श्री नारायण जाति अहीर निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

40. श्री शिवलाल पुत्र श्री शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

41. श्री विष्णु पुत्र श्री शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

42. श्रीमती वरदी पत्नी श्री शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

43. श्रीमती देऊबाई पुत्री श्री शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

44. श्रीमती मांगी पुत्री स्व. श्री रूपा जाति भील निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

45. श्री राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी श्री तहसीलदार जी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित–

1. श्री मुकेश डांगी, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 71/24 (वाद)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि– परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा कलवल पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की आराजी संख्या 699 रकबा 0.0700 है., आराजी संख्या 700 रकबा 0.0800 है., आराजी संख्या 701 रकबा 0.0800 है., आराजी संख्या 709 रकबा 0.1000 है., आराजी संख्या 710 रकबा 0.3100 है., आराजी संख्या 711 रकबा 0.4400 है., आराजी संख्या 712 रकबा 0.3200 है., आराजी संख्या 708 रकबा 0.6400 है. कुल रकबा 2.0400 है. भूमि वर्तमान खातेदार के बजाय वादी बालु पुत्र स्व. रूपा जाति भील व प्रतिवादी संख्या 44 मांगी पुत्री स्व. रूपा भील जाति भील को हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर... सल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

...ज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.10.2025 को जारी की गई।